| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| 03/7/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप0। पत्रावली में बहस प्रा0पत्र [illegible] सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 14/08/25 को पेश हो।<br>[signature] 03/7/25 |
| 14/8/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। आवे0 प्रार्थीगण ~~एवं अनावे0 अप्रार्थीगण~~ व अप्रार्थी 3 की बहस प्रा0पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा - 212 RT Act (आराजी निरंकता) के प्रार्थना पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न तीन बिन्दुओं पर जांचना आवश्यक है :- (अ) <u>प्रकरण प्रथम दृष्टया</u> :- आवे0 प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम रावल तह0 रायपुर की वाउग्रस्त आराजी ख0 न0 3 रकबा 3-17 बीघा प्रार्थीगण द्वारा जरिये रजि0 विक्रयपत्र दिनांक 20/11/1988 से खातेदार भंवरिया पुत्र रामा चमार से 9000/- रूपये की प्रतिफल राशि में क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था और तभी से [illegible] लगातार कब्जा काश्त चले आ रहे [illegible] राजस्व कार्मिकों द्वारा [illegible] नहीं [illegible] एवं बाद में खातेदार विक्रेता [illegible] उनके वारिसान का बिना जांच पड़ताल के नाम दर्ज करने से जमाबंदी में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज कर |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिड़ावा जिला झालावाड़ *

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म व ... में जारी हुए | तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|---|

दिया गया। केवल राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने मात्र का अनुचित लाभ उठाकर बिना हक व अधिकार के विक्रेता मंवारियां के वारिसान अप्रार्थीगण ने भूमि का बेचान बाहिरे रजि० विक्रय पत्र दिनांक 24/6/2015 से अप्रार्थी 1 को कर दिया। वास्तविक रूप से कोई कब्जा हस्तान्तरित नहीं हुआ। अतः यह पश्चातवर्ती बेचान दिनांक 24/6/2015 एवं इसके आधार पर दर्ज नामान्तरण प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में है।

प्रार्थीगण द्वारा पेश रजि० विक्रय पत्र दिनांक 26/11/1988 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि ख० नं० 3 रकबा 3-17 बीघा का बेचान खातेदार मंवारिया द्वारा प्रार्थीगण को कर कब्जा सौंप दिया था जिसका नामा० सं० 115 दर्ज होना और माननीय RAA Kota के स्थगन आदेश दिनांक 15/07/1987 के आधार TDR द्वारा खारिज कर दिया जाना अप्रार्थी क्रम 3 ने कथन किया है। अप्रार्थी क्रम 3 द्वारा पेश नामा० सं० 116 के अनुसार समस्या समाधान शिविर दिनांक 19/6/1992 में TDR द्वारा वादग्रस्त आराजी का वाद (suit) माननीय RAA Kota में पैरकार होने एवं दिनांक 10/8/1992 तक [illegible] अंकन के आधार [illegible] वसीयत के आधार [illegible] बद्री जोशी सीताराम चमार के पक्ष में नामा० खारिज किया गया था।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख हुक्म जिस के अनुसार मिसल में ... |
|---|---|---|
| | माननीय RAA से इस बाद (suit) में क्या निर्णय हुआ - के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने कोई तथ्य का अंकन नहीं किया है प्रार्थीगण द्वारा प्र० पत्र० में अवादियां द्वारा दिनांक 20/3/1986 को वादग्रस्त भूमि को नामा० तसीलत अप्रार्थी 2 के पक्ष में किये जाने का भी कोई अंकन नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण ने ACM court झालावाड़ एवं माननीय RAA Kota में प्रकरण (suit) में पक्षकार थे। इसके बाद माननीय जिला कलेक्टर महोदय झालावाड़ के आदेश क्रमांक 1116 दिनांक 13/8/2007 एवं क्रमांक 1235 दिनांक 05/9/2007 से अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में नामा० क्र० 269 दिनांक 01/11/2007 दर्ज हुआ था जिसकी प्रार्थीगण द्वारा कोई अपील की गई है - इसका अंकन प्र० पत्र में नहीं किया गया है। माननीय RAA Kota के निर्णय डिक्री दिनांक 15/4/2005 के विरुद्ध माननीय राजस्व मंडल अजमेर में दायर 2nd अपील के तथ्यों को भी प्रार्थीगण द्वारा छुपाया (hide & mislead) किया गया है। जिला [illegible] कलेक्टर झालावाड़ के आदेशों [illegible] छुपाया [illegible] गया है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने एक ओर तथ्यों को छुपाया कर unclean hands से यह प्र० पत्र० | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- |
| इस मामले में पेश किया है वादिया रिकार्ड खातेदार अप्रार्थी 2 द्वारा मौके रजि० विक्रय पत्र दिनांक 24/6/2015 से किये गये बेचान से खातेदार हुई अप्रार्थी 1 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। | |
| यह सुस्थापित विधि का सिद्धांत है कि रिकार्ड खातेदार हुक्म के विरुद्ध, निषेध याचिका को स्वीकार, स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। रजि० विक्रय पत्र दिनांक 24/6/15 को सक्षम न्यायालय से शून्य घोषित किये जाने का कोई साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं किया गया है। | |
| इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (i) M/s Tomorrow Land Limited v/s HUDCO 2025, (ii) Amar Singh v/s Union of India 2011 मामलों में प्रतिपादित किया है कि "Court cannot aid those who approaching with unclean hands". A party must come to court with clean hands to be eligible for equitable relief". | |
| इसी प्रकार का सिद्धांत Sima Constructions pvt Ltd v/s State Bank of India मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने तथा R. Ramesh v/s Packiam 2023 मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने भी प्रतिपादित किया है। | |
| उपरोक्त [illegible] न तो प्रकरण [illegible] प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है और न ही प्रार्थीगण clean hands से कोर्ट में आये हैं अतः प्रार्थीगण | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | का प्रार्थना पत्र, आगे विवेचन किये बिना, इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। |
| न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ | 11/8/23<br>उपखण्ड अधिकारी<br>पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.) |

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:34:20 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner